SSC GD 2025

अवसर बैच

"Polity"

Class-07

अनु० 44- समान नागरिक संहिता

Art. 44 - Uniform Civil code → Goa → Uttarakhand

समान सजा

- अपराधिक मामलें (criminal matters)
  - ex- Murder
  - → मार- पीट
  - → चोरी etc.

- सिविल मामले (civil matters)
  - ex- तलाक (Divorce)
  - → प्रोपर्टी
  - → विवाह etc.
  - → Hindu law
  - → Muslim law

Art. 45 ⇒ 0-6 वर्ष बच्चे (children) ⟶ देखभाल (care), शिक्षा (education) ⇒ दिलाना राज्य का कर्तव्य होगा

अनुच्छेद- 46- राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषतया, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के, शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों को, विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।

Art. 46 - The state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, in particular of the scheduled castes and the scheduled Tribes, and shall protect them against social injustice and all forms of exploitation.

Art. 46 ⇒ weaker sections ⟶ SC/ST
कमजोर वर्ग

- → शिक्षा (education)
- → रोजगार (employment)
- → सामाजिक अन्याय
- → शोषण (exploitation)

अनुच्छेद - 47 - स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगायेगा।

Art. 47 - Will prohibited the consumption of intoxicating drugs and other substances harmful to health.

Art - 47 → स्वस्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध।

अनुच्छेद - 48 - राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए तथा उनका बध रोकने के लिए कदम उठायेगा।

Art. 48 - The state shall strive to make agriculture + animal husbandry modern + scientific and, in particular, shall take steps to preserve and improve the breeds of milch + draught cattle and to prevent their slaughter.

Art-48 → कृषि (Agriculture)
Art-48 → पशुपालन (Animal Husbandry)
⇓
आधुनिक एवं वैज्ञानिक

दुधारू पशु (Milch animals) → Ex - गाय
→ हत्या (slaughter) ✗

Art - 48 (A) ⇒ 42 (A) 1976 ⇒ जोड़ा गया
→ पर्यावरण का संरक्षण

अनु० 49 - के तहत राज्य प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रूचि के स्थानों को, जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया।

Art - 49 - Under the Act, the State shall protect every monument, place of artistic or historical interest declared by Parliament to be of national importance.

ex - लाल किला, ताजमहल, शीश महल, इंडिया गेट etc.

अनु॰ 50 - के तहत् न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक | separate the judiciary from the executive under Article-50

अनु॰ 51 - अन्तराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति संबंधी निदेशक तत्व के बारे में है। Art-51- is about international peace and security and the directive principle of India's foreign policy.

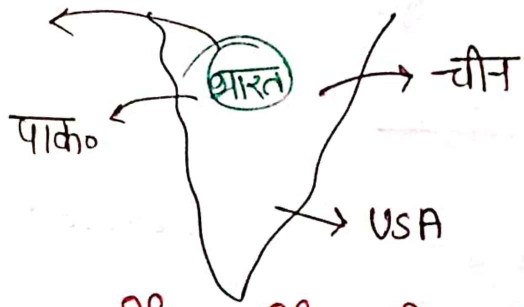

Art-51 = विदेश नीति (foreign policy)

△⇒ कौन - कौन से नीति निदेशक तत्व 42 वें संविधान संशोधन द्वारा भाग चार में जोड़ें गये है? which directive principles of state policy have been added to Part IV by the 42nd constitutional Amendment?

∴ अनु॰ -39 क (समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता), अनु॰ 43-क (उद्योग के प्रबंधक में कर्मकारें का भाग लेना), अनु॰ 48-क (पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा)

Art. 39A (Equal justice & free legal aid), Article 43-A (Participation of Workers in the managment of industry), Art-48-A (Protection of environment, forest & wild life).

→ मूल कर्तव्य

भारत के संविधान के आरंभ में नागरिकों के लिए 'मूल कर्तव्यों' का उल्लेख नहीं था। इसे 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित 'सरदार स्वर्ण सिंह' समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। In the begining, the constitution of India didn't mention the 'fundamental duties' for citizens. It was added by the 42nd constitutional Amendment 1976 on the basis of the recommendational of the 'sardar swaran singh' commitee formed by the congress in 1976.

मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)
- Part (भाग -IV (A), Art. 51(A)
- Add on | जोड़ा गया ⇒ 42(A) 1976
- PM (प्रधानमंत्री) ⇒ इंदिरा गांधी
- Taken from Russia (रूस से लिया गया है)

⇒ स्वर्ण सिंह समिति (committee) ⇒ गठन (formed) ⇓ 26 feb. 1976

↳ अध्यक्ष (chairman) ⇓ स्वर्ण सिंह

→ 12 सदस्य

1. सरदार स्वर्ण सिंह (अध्यक्ष)
2. ए. आर. अंतुले (सदस्य)
3. एस. एस राय (सदस्य)
4. रजनी पटेल
5. एच. आर. गोखले
6. वी. ए. सैय्यद मुहम्मद
7. वी. एस. गाडगिल
8. सी. एम. स्टीफन
9. डी. पी. सिंह
10. दिनेश गोस्वामी
11. वसंत साठे
12. बी. एन. बनर्जी

⇒ कुल सदस्य (Total Members) ⇒ 12

⇒ रिपोर्ट ⇒ ① 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ना चाहिए।

→ सरकार ने 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वें (A) 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा।

② कर अदायगी (Tax Pay) ⇒ मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ना चाहिए।

→ नहीं, Reject (अस्वीकार)

वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या ⇒ 86 वां (A) 2002 में
In present no. of fundamental duties 11वां कर्तव्य जोड़ा गया।

⇒ 6-14 वर्ष बच्चों की शिक्षा का उत्तरदायित्व माता-पिता को होगा।

अनुच्छेद- 51 क, के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह- According to Article 51A, it shall be the duty of every citizen of India-

- संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें —

1) abide by the constitution and respect its ideals, institutions, the National flag and the National Anthem; संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का आदर।

- स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

2) cherish and follow the high ideals which inspired our national movement for freedom;

⇓

आदर

भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।

(3) To protect and preserve the sovereignity, unity and integrity of India

संप्रभुता
एकता → ✓
अखण्डता

(4) देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

to defend the country and render national service when called upon to do so;